राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), जैसलमेर

क्रमांकः आ.प्र. एवं सहा./पेयजल/2020/ 7601 दिनांक :– 21.12.2020

प्रेषित :–

शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन, सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– अभाव सम्वत् 2076 में किये गये पेयजल परिवहन हेतु बजट आंवटन करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अभाव संवत् 2076 में जिले के अभावग्रस्त ग्रामों में आपातकालीन पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से निजी संवेदको तथा सरकारी टैंकरों के द्वारा किये गये पेयजल परिवहन के बिलों का भुगतान किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारियों से प्राप्त बजट मांग राशि रूपये **236.82** लाख के बजट की आवश्यकता है, जिसे विभागीय वेब–पोर्टल **DMIS** पर ऑनलाईन किया जा रहा है। अतः निम्नानुसार बजट आवंटन करवाने का श्रम करावें :–

क्र. सं.	बजट मद एवं उपमद	विवरण	बजट मांग (राशि लाखों में)
01.	2245–01–102–11–04 उपमद 22	उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर	49.58
02.		उपखण्ड अधिकारी, पोकरण	84.62
03.		उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ़	14.65
04.		उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा	87.97
योग :–			**236.82**

(राशि रूपये दो करोड़ छत्तीस लाख बयासी हजार मात्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि "प्रस्तुत किये गये बिल 01.04.2020 के पश्चात् सूखाग्रस्त घोषित जिले में अभाव अवधि के दौरान व अभाव ग्रस्त क्षेत्र में किये गये पेयजल परिवहन के हैं।" अतः दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 तक के पेयजल परिवहन हेतु राशि रूपये 236.82 लाख स्वीकृत किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

सादर,

भवदीय

21/12/2020

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) जैसलमेर

क्रमांकः– आ.प्र.एवं सहा./डीडीएमए/बैठक/2020/ 6878 दिनांकः– 23.6.2020

दिनांक 09.06.2020 को दोपहर 2.30 बजे आयोजित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक का कार्यवाही विवरण

अध्यक्ष महोदय ने जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया तथा सूचित किया कि टिड्डी नियन्त्रण को भी राष्ट्रीय आपदा में शामिल कर लिया गया है। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं सचिव ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में की गई अकाल राहत गतिविधियों एवं आपदा अनुभाग के द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के माध्यम से दी गई सहायता की जानकारी दी। प्राधिकरण के उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :–

गौ संरक्षण गतिविधियां :–

- अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं सचिव ने प्राधिकरण को बताया कि अभाव खरीफ सम्वत् 2076 में दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 तक गौ संरक्षण गतिविधियाँ प्रारम्भ हो गई है। गौ संरक्षण गतिविधियों के तहत दिनांक 09.06.2020 तक 314 अस्थाई पशु शिविर स्वीकृत कर 39512 गौवंश को लाभान्वित किया गया हैं। वर्तमान में पशु शिविर एवं चारा डिपो स्वीकृत करने की प्रकिया सतत् जारी हैं। अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि जिले में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है, इसलिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार गौ संरक्षण व पेयजल परिवहन की सतत् समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करें। सभी स्वीकृत पशु शिविर तुरन्त चालू करवा दिये जाए तथा सभी तहसीलदार पशु शिविर प्रारम्भ होने की दिनांक सत्यापित करें, ताकि वास्तविक दिनों का भुगतान किया जावे।
- अभाव खरीफ सम्वत् 2074 में स्वीकृत एवं संचालित कामधेनू गौशाला, धोलिया का अध्यक्ष/संचालक स्वयं ब्लड कैंसर से पीड़ित होने के कारण उनके द्वारा बिल राशि रू. 2.34 लाख देरी से प्रस्तुत करने पर प्रकरण में तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी, पोकरण ने भुगतान करने की अभिशंषा की। अतः बजट माँग कर भुगतान किये जाने का प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखा गया, जिस पर विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
- अभाव खरीफ सम्वत् 2075 में ग्राम पंचायत, रामदेवरा में स्वीकृत एवं संचालित 4 पशु शिविरों के बिल ग्राम सेवक की गम्भीर दुर्घटना हो जाने से कोमा में चले जाने एवं संरपच, ग्राम पंचायत, रामदेवरा बाबा रामदेव के विशाल मेले की व्यवस्थाओं में अत्यधिक व्यस्त हो जाने के कारण बिल राशि रू. 31.82 लाख देरी से प्रस्तुत करने पर प्रकरण में तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी, पोकरण ने भुगतान करने की अभिशंषा की। अतः बजट माँग कर भुगतान किये जाने का प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखा गया, जिस पर विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
- अभाव खरीफ सम्वत् 2075 में संचालित पशु शिविरों का बजट 31.03.2020 तक कोषालय से भुगतान नहीं हो पाने तथा कोरोना महामारी की रोकथाम में व्यस्तता के कारण उपयोग में नहीं लिये जा सकने की वजह से उक्त बजट की पुनः माँग एवं भुगतान अस्थाई पशु शिविर (SMF) राशि रू. 126.30 लाख व अस्थाई पशु शिविर (OSMF) राशि रू. 1.05 लाख का अनुमोदन किये जाने का प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखा गया, जिस पर विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
- अभाव खरीफ सम्वत् 2075 में संचालित चारा डिपो के संचालकों द्वारा DMIS राज ऐप डाउनलोड नहीं करने से इस शर्त में शिथिलता देने के लिए सहायता विभाग को निवेदन किया गया। उक्त बिलों का राशि रू. 620.18 लाख का बजट इस वित्तीय वर्ष में पुनः माँग कर भुगतान करने का अनुमोदन किये जाने का प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखा गया, जिस पर विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

Scanned by CamScanner

पेयजल परिवहन गतिविधियां :–

- अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं सचिव ने बताया कि अभाव खरीफ सम्वत् 2076 में दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 तक पेयजल परिवहन गतिविधियाँ प्रारम्भ हो गई है। जिले के दो शहर, 333 ग्राम एवं 1595 ढाणियों को चिन्हित करते हुए पेयजल परिवहन के कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ किये गये है, जो निरन्तर जारी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जहां पर्याप्त बारिश नहीं हुई है या जहां आवश्यकता है वहां जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग योजनाबद्ध तरीके से पेयजल परिवहन करें। सभी उपखण्ड अधिकारी पेयजल परिवहन का प्रभावी पर्यवेक्षण करें तथा आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन करवायें। अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जैसलमेर सप्ताह की पूर्व योजना व दैनिक भेजे जाने वाले टैंकर्स की सूचना प्रतिदिन अवगत कराएं। प्राधिकरण ने अभी तक करवायें गये कार्यों का अनुमोदन किया व भविष्य में भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य किये जाने का आह्वान भी किया।
- अभाव खरीफ सम्वत् 2075 में संचालित पेयजल परिवहन का बजट 31.03.2020 तक कोषालय से भुगतान नहीं हो पाने तथा कोरोना महामारी की रोकथाम में व्यस्तता के कारण उपयोग में नहीं लिये जा सकने की वजह से उक्त बजट की पुनः माँग एवं भुगतान राशि रू. 20.35 लाख के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखा गया, जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कृषि आदान–अनुदान :–

- अभाव खरीफ सम्वत् 2075 में कृषि आदान अनुदान की रिवाईज माँग राशि रू. 159.20 लाख तथा अभाव खरीफ सम्वत् 2076 में कृषि आदान अनुदान की रिवाईज माँग राशि रू. 1462.00 लाख के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रखा गया, जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

टिड्डी से फसल बचाव का कार्य :–

- अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि सभी सम्बन्धित अधिकारी योजना बनाकर टीम भावना से टिड्डी से बचाव का कार्य करें, क्योंकि इस बार टिड्डी से गम्भीर समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना है। अतः सभी सम्बन्धित अधिकारी कृषि विभाग व लोकस्ट विभाग से समन्वय बनाए रखें, तहसीलदार टिड्डी नियन्त्रण के लिए किसानों को ट्रेनिंग दें व प्रचार–प्रसार करें। कृषि विभाग उपखण्ड अधिकारियों से समन्वय व सहयोग बनाये रखें। उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार पटवारियों के माध्यम से टिड्डी संबंधी प्रतिदिन सूचना प्राप्त करें व जिला प्रशासन, लोकस्ट विभाग व कृषि विभाग को समय पर सूचित करें। बैठक में उपस्थित पुलिस उपाधिक्षक को निर्देशित किया गया कि फील्ड में कार्यरत पुलिस स्टॉफ को टिड्डी आने की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को पहुंचाने के लिए आदेशित करें। कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि ट्रेक्टर के किराये का भुगतान एक सप्ताह में करवाना सुनिश्चित करें तथा सभी जीएसएस पर टिड्डी नियंत्रण हेतु कीटनाशक व डस्ट उपलब्ध करवायें। थ्रेसर से डस्ट स्प्रे का एक डेमो तैयार कर हर जगह सर्कुलेट करें। प्राधिकरण ने अभी तक करवायें गये कार्यों का अनुमोदन किया व भविष्य में भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य किये जाने का आह्वान भी किया।

मुख्यमंत्री सहायता कोष :–

- मुख्यमंत्री सहायता कोष के इस वित्तीय वर्ष में 4 प्रकरणों में राशि रू. 3.20 लाख की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवारों को दी गई, जिसका प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया।

Scanned by CamScanner

अग्नि दुर्घटना सहायता :–

- अग्नि दुर्घटना सहायता के इस वित्तीय वर्ष में 41 प्रकरणों में राशि रू. 3.83 लाख की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवारों को दी गई, जिसका प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष व अग्नि दुर्घटना सहायता के प्रकरणों में तुरन्त प्रस्ताव भेजे जावे, ताकि शीघ्रातिशीघ्र प्रभावित लोगों को सहायता दी जा सके, अन्यथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

कोरोना महामारी रोकथाम :–

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियों में राशि रू. 64.49 लाख का व्यय किया गया, जिसका प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

प्रभारी अधिकारी (सहायता)
अति. जिला कलक्टर एवं सदस्य सचिव
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जैसलमेर

क्रमांक : आ.प्र. एवं सहा/2020/ 6879-87 दिनांकः– 23.6.2020

प्रतिलिपि :–

01. संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
02. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।
04. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर।
05. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत–जैसलमेर।
06. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग, वृत–जैसलमेर।
07. अधीक्षण अभियंता जोधपुर विधुत वितरण निगम लि., वृत–जैसलमेर।
08. आयुक्त, नगर परिषद, जैसलमेर।
09. निजी सचिव, जिला कलक्टर, जैसलमेर।

प्रभारी अधिकारी (सहायता)
अति. जिला कलक्टर एवं सदस्य सचिव
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

—: उपस्थिति विवरण :—

आज दिनांक 09.06.2020 को सांय 2.30 बजे श्रीमान् जिला कलक्टर, जैसलमेर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित DDMA बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण –

क.सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	विभाग का नाम	मोबाईल नंबर	ई–मेल एड्रेस	हस्ताक्षर
1						
2	O.P. BISHNOI	ADM	Administration	9828538551		[signature]
3						
4	Omprakash	CEO	Zp Jmr	9983219251		[signature]
5	N. K. Joshi	SE	JdV.V.N.L	9413359847	seomm@gmail.com	[signature]
6	हरिसिंह राठौड़	SE	PWD	9413865001	piu_jaisalmer@rediffmail.com	[signature]
7	Thakbar Singh	Secretary	NP JSM	7976582343		[signature]
8	R.K. Sharma	EE	PHED	9828100095		[signature]
9	Shyam Sunder	DY.S.P	Police	9414270633		[signature]
10	Chhatra Ram	E.E.	PHED	9413458045	sephedjsm@yahoo.com	[signature]
11	Dr. B.K Baruपाल	CMHO	Medical & Health	9824582424		[signature]
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Scanned by CamScanner